भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड

(उत्तराखण्ड सरकार की स्वायत्तशासी संस्था)

प्रकाश विहार, धर्मपुर, देहरादून

फोन : (0135) 2677469, ई–मेलः bcpuk.ddn@gmail.com, वेबसाईटः www.bcputtarakhand.in

पत्रांक : /पीटीएन–4(1)/भाचिप/2014–15 दिनांक :

आयर्वेदिक/यूनानी फार्मेसी, आयुर्वेदिक नर्सिंग तथा पंचकर्म सहायक कोर्स (सत्र 2014–15) हेतु

द्वितीय/अंतिम काउंसलिंग सूचना

आयुर्वेदिक भैषज्य कल्पक (फार्मेसिस्ट) आयुर्वेदिक परिचारिका (नर्सिंग),एवं पंचकर्म सहायक (पंचकर्म टैक्नीशियन) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2014–15 में प्रवेश के लिए प्रथम काउंसलिंग के पश्चात रिक्त रह गयी राज्य कोटे की सीटों पर मेरिट के आधार पर द्वितीय/अंतिम काउंसलिंग निम्न विवरणानुसार सम्पन्न होगी–

राज्य कोटे की रिक्त सीटों की संख्या

वर्ग	आयुर्वेदिक फार्मेसी प्रशिक्षण अवधि– 02 वर्ष	आयुर्वेदिक नर्सिंग प्रशिक्षण अवधि– 03 वर्ष + 06 माह	पंचकर्म सहायक प्रशिक्षण अवधि– 01 वर्ष	यूनानी फार्मेसी प्रशिक्षण अवधि– 02 वर्ष
सामान्य	96	66	72	22
अ.पि.व.	29	16	19	05
अ.जा.	24	19	24	08
अ.ज.जा.	06	04	06	02

भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानः

1. **ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज,** हरिद्वार।
2. **श्री उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक भैषज्य कल्पक (फार्मेसिस्ट) प्रशिक्षण विद्यालय,** विद्यापीठ, रूद्रप्रयाग।
3. **हिमालयीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय,** ग्राम फतेहपुर टाण्डा, डोईवाला, देहरादून।
4. **उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज,** 17–ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।
5. **दून आयुर्वेदिक भैषज्य कल्पक कॉलेज,** 74/27–1, राजपुर रोड़, मधुबन होटल के सामने, देहरादून।
6. **शिवालिक इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एण्ड रिसर्च,** हेडवाली, निकट बन्शीवाला पुल, झाझरा, चकराता रोड़, देहरादून।
7. **अनमोल भारतीय उपचार एवं योगा संस्थान,** निकट उज्जवल भवन, जी0एम0एस0 रोड़, बल्लूपुर चौक, देहरादून।
8. **उत्तराखण्ड आयुर्वेद कॉलेज,** पंचायत घर, रामपुर रोड़, हल्द्वानी, नैनीताल।

काउंसलिंग विवरण

काउंसलिंग स्थान :	**अनमोल भारतीय उपचार एवं योग संस्थान, जी0एम0एस0 रोड़, बल्लूपुर चौक, निकट उज्वल भवन, देहरादून।**
आयुर्वेदिक/यूनानी फार्मेसी	**काउंसलिंग तिथि : दिनांक 14 नवम्बर 2014 दिन शुक्रवार** – काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं शैक्षिक आदि प्रमाण–पत्रों की जांच प्रातः 9.30 बजे से 01:00 बजे तक तथा काउंसलिंग अपरान्ह 02:00 से प्रारम्भ।
आयुर्वेदिक नर्सिंग व पंचकर्म सहायक	**काउंसलिंग तिथि : दिनांक 15 नवम्बर 2014 दिन शनिवार** – काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं शैक्षिक आदि प्रमाण–पत्रों की जांच प्रातः 9.30 बजे से 01:00 बजे तक तथा काउंसलिंग अपरान्ह 01:00 से प्रारम्भ।

द्वितीय/अन्तिम काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने पूर्व में काउंलिंग हेतु आवेदन किया हो परन्तु प्रथम काउंसलिंग में उपस्थित न हो सके हों या पूर्व में जिनके आवेदन अपूर्ण रहे हों (ऐसे अभ्यर्थी आवेदन पूर्ण करने हेतु आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ द्वितीय/अन्तिम काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं)।

साथ ही उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थायी निवासी ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में इन कोर्सों के लिए आवेदन नहीं किया था, वे भी द्वितीय/अन्तिम काउंसलिंग में निम्न शर्तों के साथ सम्मिलित हो सकते हैं–

पात्रता की शर्तें :–

1. आयुर्वेदिक नर्सिंग कोर्स हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही अर्ह हैं। अन्य कोर्सों हेतु महिला एवं पुरूष दोनों अर्ह हैं।
2. अभ्यर्थी उत्तराखण्ड का मूल/स्थायी निवासी होना चाहिए।
3. राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु आवेदन शुल्क **रू0 500.00 का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट** (वापसी नहीं) जो **REGISTRAR, BHARTIYA CHIKITSA PARISHAD. UTTARAKHAND** के नाम देय हो, काउंसलिंग के दिन जमा करवाना होगा।

4. **आयुर्वेदिक भैषज्य कल्पक (फार्मेसिस्ट) प्रशिक्षण हेतु उक्त पात्रता की शर्तो के क्रमांक–1 से 3 के साथ–साथ निम्न अभ्यर्थी पात्र होंगे**
   (क) इण्टरमीडिएट (10+2) विज्ञान वर्ग, जिसमें (जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान विषय अनिवार्य रूप से रहे हों) सहित न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण कर ली हो।
   (ख) आवेदनकर्त्ता की आयु 01 जुलाई 2014 को न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए।
   (ग) प्रवेश पूर्णतया इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मैरिट के अनुसार काउंसलिंग के माध्यम से किये जायेंगे। समान अंक होने पर क्रमशः जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान में प्राप्त अंकों के आधार पर मैरिट तैयार की जायेगी।
   (घ) प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य होना आवश्यक है।

5. **यूनानी भैषज्य कल्पक (फार्मेसिस्ट) प्रशिक्षण हेतु उक्त पात्रता की शर्तो के क्रमांक–1 से 3 के साथ–साथ निम्न अभ्यर्थी पात्र होंगे**
   (क) इण्टरमीडिएट (10+2) विज्ञान वर्ग, जिसमें (जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान विषय अनिवार्य रूप से रहे हों) सहित न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण कर ली हो।
   (ख) आवेदनकर्त्ता की आयु 01 जुलाई 2014 को न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए।
   (ग) प्रवेश पूर्णतया इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मैरिट के अनुसार काउंसलिंग के माध्यम से किये जायेंगे। समान अंक होने पर क्रमशः जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान में प्राप्त अंकों के आधार पर मैरिट तैयार की जायेगी।
   (घ) प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य होना आवश्यक है।
   (ङ) कम से कम कक्षा 8 तक उर्दू विषय अनिवार्य रूप से रहा हो।

6. **पंचकर्म सहायक (पंचकर्म टैक्नीशियन) प्रशिक्षण हेतु उक्त पात्रता की शर्तो के क्रमांक–1 से 3 के साथ–साथ निम्न अभ्यर्थी पात्र होंगे**
   (क) इण्टरमीडिएट (10+2) विज्ञान वर्ग, जिसमें (जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान विषय अनिवार्य रूप से रहे हों) सहित न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण कर ली हो।
   (ग) प्रवेश पूर्णतया इण्टरमीडिएट के जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान विषयों के कुल प्राप्तांकों की मैरिट के आधार पर दिया जायेगा।
   (ग) आवेदनकर्त्ता की आयु 01 जुलाई 2014 को न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम कोई सीमा नहीं है।
   (घ) प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य होना आवश्यक है।

7. **आयुर्वेदिक परिचारिका (नर्सिंग) प्रशिक्षण हेतु उक्त पात्रता की शर्तो के क्रमांक–1 से 3 के साथ–साथ निम्न महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे**
   (क) इण्टरमीडिएट (10+2) विज्ञान वर्ग, जिसमें (जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान विषय अनिवार्य रूप से रहे हों) सहित न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण कर ली हो।
   (ख) प्रवेश पूर्णतया इण्टरमीडिएट के जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान विषयों के कुल प्राप्तांकों की मैरिट के आधार पर दिया जायेगा।
   (ग) अभ्यर्थिनी की आयु 01 जुलाई 2014 को न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम् 25 वर्ष होनी चाहिए।
   (घ) प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अभ्यर्थिनी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य होना आवश्यक है।

8. उक्त सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन की आरक्षण नीति के अनुसार लागू होगा।

9. काउंसलिंग हेतु पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के उपरान्त ही काउंसलिंग में सम्मिलित किया जा सकेगा।

नोट –

1. काउंसलिंग के लिए बुलाने या काउंलिंग में सम्मिलित होने का तात्पर्य प्रवेश की अनिवार्यता नहीं है।
2. काउंसलिंग समिति द्वारा उपस्थित अभ्यर्थियों की सूची में से रिक्त सीटों के सापेक्ष मैरिट तथा उत्तराखण्ड शासन के आरक्षण नियमों के आधार पर उपलब्ध आवेदकों में से चयन किया जायेगा।
3. काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों को हाई–स्कूल, इण्टरमीडिएट की अंक–तालिका तथा प्रमाण पत्र, मूल/स्थाई निवास प्रमाण पत्र एवं आरक्षण की स्थिति में आरक्षण प्रमाण–पत्र मूल रूप में काउंसलिंग बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साथ ही उक्त प्रमाण पत्रों की एक–एक प्रमाणित छायाप्रति भी जमा करवानी होगी।
4. काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को कोई भी मार्ग व्यय या अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।
5. काउंसलिंग सम्बन्धित जानकारी के लिए परिषद की वेबसाईट **www.bcputtarakhand.in** देखें।

(बीरेन्द्र दत्त मैठाणी)
रजिस्ट्रार/सचिव